न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 25 / 2014 जिला सीकर

1. कालूराम पुत्र स्व. श्री बालूराम, जाति माली, आयु 65 वर्ष, निवासी कडवालों की ढाणी, तन घसीपुरा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ।

अपीलार्थी

बनाम

1. मातादीन पुत्र श्री बंशीधर उर्फ मन्शाराम, जाति माली, निवासी मौहल्ला सैनियों का तन कांवट, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट

2. श्रीमती भगवती देवी पुत्री श्री गोरधन, जाति माली, निवासी ग्रम कांवट, तहसील श्रीमाधोपुर, हाल आबाद डाबला, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर ।
3. राजस्थान राज्य सरकार जरिये नायब तहसीलदार खण्डेला, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ।

प्रारूपिक रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा अपर जिला कलक्टर सीकर दिनांक 29.5.2014

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री राजाराम चौधरी
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री के.आर.शर्मा

निर्णय

दिनांक –13.11.2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति. जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 29.5.2014 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम कांवट, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 2110 रकबा 0.75, 2111 रकबा 0.65, 2114 रकबा 0.52, 2115 रकबा 0.52, 2116 रकबा 0.99, 2121 रकबा 0.70, 2131 रकबा 3.37 कुल किता 7 कुल रकबा 7.50 हैक्टेयर में से 1/4 हिस्से की खातेदार भगवती पुत्री गोरधन, कौम माली थी । न्यायालय सहायक कलक्टर खण्डेला इजराय क्रमांकः 4085/रीडर/ 2011 दिनांक 3.8.11 मु.नं. 268/11 व तहसीलदार के आदेश क्रमांकः भू.अ./11/216 दिनांक 5.8.11 की पालना में नामांतरकरण संख्या 1002 पटवारी हल्का द्वारा भगवती पुत्री गोरधन के स्थान पर कालूराम पुत्र बालूराम कौम माली के नाम भरा गया जिसे उप तहसीलदार खण्डेला, जिला सीकर ने दिनांक 16.8.2011 को स्वीकार कर दिया ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उक्त नामांतरकरण संख्या 1002 दिनांक 16.8.2011 से व्यथित होकर रेस्पोंडेन्ट मातादीन पुत्र बंशीधर द्वारा अपील न्यायालय अपर जिला कलक्टर सीकर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.5.2014 द्वारा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर उनवानी महादू उर्फ जुगल किशोर बनाम कालूराम निर्णय दिनांक 2.7.12 से सहायक कलक्टर खण्डेला के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.7.2011 खारिज होने से सहायक कलक्टर खण्डेला के निर्णय एवं डिक्री के तहत तस्दीक नामांतरकरण संख्या

1002 ग्रम कांवट दिनांक 16.8.2011 खारिज योग्य पाये जाने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 1002 ग्रम कावट दिनांक 16.8.2011 खारिज किया गया ।

अपर जिला कलक्टर सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 29.5.2014 से व्यथित होकर अपीलान्ट कालूराम पुत्र स्व. श्री बालूराम द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय अपर जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 29.5.2014 निरस्त किया जाकर नामांतरकरण संख्या 1002 दिनांक 16.8.2011 बहाल रखे जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 1002 दिनांक 16.8.2011 के खिलाफ अपील प्रस्तुत करने का किसी प्रकार का अधिकार रेस्पोंडेन्ट मातादीन पुत्र बंशीधर को नहीं था । रेस्पोंडेन्ट मातादीन के विवादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं थे । उनका कहना था कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा दिनांक 17.8.2012 को पारित स्थगन आदेश की प्रति प्रस्तुत कर दी थी ओर तहसीलदार श्रीमाधोपुर को भी उक्त स्थगन आदेश की तत्समय से ही पूर्ण जानकारी थी । ऐसी स्थिति में राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 2.7.2012 की कियान्विति सम्भव नहीं थी , परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 2.7.2012 के आधार पर नामांतरकरण संख्या 1002 को निरस्त करने में कानूनी भूल की है । उनका कहना था कि राजस्व अपील अधिकारी का निर्णय दिनांक 2.7.2012 की कियान्विति राजस्व मण्डल द्वारा स्थगित किये जाने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त किया है, जो माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय की अवमानना की श्रेणी में आता है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के कानूनी एवं महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे तथा प्रश्नगत नामांतरकरण बहाल रखा जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमियों के नये खसरा नम्बर 2121 रकबा 0.70 हैक्टेयर व 2131 रकबा 3.37 तन कांवट के पुराने खसरा नम्बर 649/1 रकबा 21 बीघा 7 बिस्वा के 1/2 हिस्से की भूमि रेस्पोंडेन्ट बुजुर्गो के वक्त से काश्त करता चला आ रहा है । गिरदावरी में भूमि रेस्पोंडेन्ट के पिता बंशी उर्फ मंशा पुत्र भगवाना के नाम दर्ज है । लगान पूर्व में रेस्पोंडेन्ट के पिता एवं बाद में रेस्पोंडेन्ट द्वारा अदा किया है, परन्तु वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी गलत रूप से अपीलान्ट व रामगोपाल वगैरह माली तथा गीता देवी पुत्री गोरधन माली के नाम चली आ रही होने के कारण रेस्पोंडेन्ट द्वारा दिनांक 30.7.2009 को सहायक कलक्टर खण्डेला के समक्ष नियमित वाद मातादीन बनाम रामगोपाल प्रस्तुत किया गया जिसके विचाराधीन रहने के दौरान म्हादू उर्फ जुगलकिशोर बनाम रामगोपाल में एक पक्षीय डिक्री दिनांक 20.4.2011 को पारित करवाली गयी , जिसे निरस्त कराने

के लिये भगवती द्वारा सहयक कलक्टर खण्डेला के समक्ष एक आवेदन भगवानी बनाम म्हादू प्रस्तुत किया । भगवती देवी द्वारा वादग्रस्त भूमियों का 1/4 हक हिस्सा स्वयं का होने व उसी के द्वारा कार्य कृषि व लांट बांट करने के अभिकथन किये गये । रेस्पोंडेन्ट को उक्त निर्णय व डिक्री में उक्त आवेदन बाबत जानकारी होने पर सी.पी.सी. में पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । अपीलान्ट द्वारा साजिश रचकर कालूराम बनाम भगवती देवी आदि उनवानी प्रकरण प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक 15.7.2011 को एक साजिशी राजीनामा प्रस्तुत कर दिनांक 18.7.2011 को अपने गिरोह के लोगों के शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 20.7.2011 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहस सुनी जाकर दिनांक 29.7.2011 को निर्णय व डिक्री पारित करदी गई तथा इसके आधार पर नामांतरकरण संख्या 1002 दिनांक 16.8.2011 को तस्दीक करा लिया । उक्त नामांतरकरण के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट की अपील अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.5.2014 द्वारा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर उनवानी महादू उर्फ जुगल किशोर बनाम कालूराम निर्णय दिनांक 2.7.2012 से सहायक कलक्टर खण्डेला के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.7.2011 खारिज होने से सहायक कलक्टर खण्डेला के निर्णय एवं डिक्री के तहत तस्दीक नामांतरकरण संख्या 1002 ग्रम कांवट दिनांक 16.8.2011 खारिज योग्य पाये जाने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 1002 ग्रम कावट दिनांक 16.8.2011 खारिज किया गया । उनका कहना था कि पक्षकारान के मध्य राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 2.7.2012 के खिलाफ अपील वर्तमान में माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन है जिसमें उनके अधिकारों का निर्धारण होना है एवं माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय के अनुसार नामांतरकरण की कार्यवाही होगी । ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवादित भूमि के संबंध में सहायक कलक्टर खण्डेला, जिला सीकर ने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.7.2011 पारित कर वादी का वाद डिक्री किया था, जिसके खिलाफ म्हादु उर्फ जुगलकिशोर बनाम कालूराम उनवानी अपील संख्या 213/2011, प्रभात बनाम कालूराम उनवानी अपील संख्या 127/2011 एवं मातादीन बनाम कालूराम उनवानी अपील संख्या 171/2011 में भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर ने निर्णय दिनांक 2.7.2012 को पारित कर अपील स्वीकार करते हुये सहायक कलक्टर खण्डेला का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.7.2011 खारिज की गई एवं प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वह प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देते हुये इस आराजी बाबत अन्य मुकदमों को एक साथ करते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें । भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर के उक्त निर्णय के खिलाफ अपीलान्ट कालूराम द्वारा प्रस्तुत पृथक पृथक तीन अपीलें राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत की हुई है , जो विचाराधीन है जिनमें ही पक्षकारों के हक हकूकों का निर्धारण होना है । दूसरी ओर अपीलान्ट कालूराम द्वारा नामांतरकरण संख्या 1002 दिनांक 16.8.2011 की अपील मे अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर सीकर द्वारा

पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.5.2014 के खिलाफ यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि पक्षकारों के मध्य हक हकूकों के निर्धारण बाबत सक्षम न्यायालय में वाद/अपील विचाराधीन होने की स्थिति में इस न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नामांतरकरण की अपील में गुणावगुण पर किसी प्रकार का निर्णय पारित किया जाना उचित एवं न्यायिक नहीं समझते हुये अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है, क्योंकि पक्षकारों के हक हकूकों का निर्धारण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन अपीलों में ही होगा ओर माननीय राजस्व मण्डल के निर्णयानुसार ही नामांतरकरण की कार्यवाही होगी । प्रकरण के तथ्यों एवं स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अपीलाधीन आदेश अपर जिला कलक्टर सीकर दिनांक 29.5.2014 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हुये अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर